



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हरकेश मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या :-03/10/2025

आनलॉर्डिन नम्बर:-2025/94

प्रवेश तिथि-28.04.2025

1. गंगासहाय पुत्र श्री गोपाल जाति खटीक गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।
.....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय टहला तहसील टहला जिला अलवर
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:- श्री संदीप शर्मा एड0-प्रार्थी

:-निर्णय:-

दिनांक 13/05/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 303 खसरा संख्या 1191/737/0.1400, 1193/738/0.1375, 764/0.3000, 765/0.0600 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6375 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि उक्त विवादित आराजी का मौके पर सीमांकन नही होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराये जाने बाबत तहसीलदार टहला के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार टहला द्वारा संबंधित पटवारी को पैमाईश के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.04.2025 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशान देही कराई गई। पुष्टि में रिपोर्ट पैमाईश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी तहसीलदार टहला पैमाईश दिनांक 21.04.2025 के अनुसार आराजी खाता संख्या 303 खसरा संख्या 1191/737/0.1400, 1193/738/0.1375, 764/0.3000, 765/0.0600 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6375 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर कराये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब कि गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/927 दिनांक 09.05.2025 रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशाल है।

3. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 21.04.2025 व तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2025 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमाबंदी सम्बन्ध 2072 से 2075 खाता संख्या 303 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील टहला जिला अलवर की नकल पेश की।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

4. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमावंदी सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 303 वाके ग्राम गोर्धनपुरा तहसील टहला जिला अलवर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 21.04.2025 व तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार टहला के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 21.04.2025 को विवादित आराजी खाता संख्या 303 खसरा संख्या 1191/737/0.1400, 1193/738/0.1375, 764/0.3000, 765/0.0600 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6375 वाके ग्राम गोर्धनपुरा तहसील टहला जिला अलवर की पैमाईश कराई जा चुकी है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :-

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः


आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में आराजी खाता संख्या 303 खसरा संख्या 1191/737/0.1400, 1193/738/0.1375, 764/0.3000, 765/0.0600 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6375 वाके ग्राम गोर्धनपुरा तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला को आदेश जारी किये जाते हैं कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार टहला को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(हरकेश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला-अलवर



भीमान हस्सीतदार महीष्य
हस्सीत हस्ता (अक्षर)

LR
वा. 10/12

अप

अख्यान जंगलसहाय बनाम हस्सीतदार मुकदमा नं. 03/10/2025 द्वारा
128 में बिन्दुवार रिपोर्ट वास्तव।

प्रसेग

भीमान हस्सीतदार महीष्य हस्ता के अद्वैत 10/31/2025/848
दि 02/05/2025

महीष्य

उपरोक्त प्रारोहित पत्र के मन्वर्ष में बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार हैं

1. भीमानजी जाम गौरवनपुरा के राजाव रिफार्ड जमाबन्दी में आय नं. 1191/737
1193/738, 764/765 किल 04 रुबा 0.0375 जंगलसहाय पुत्रगोपाल सिंह ठूणी
जाहि खेतों को यह खातेपर दर्ज रिफार्ड हैं।

2. भीमानजी आय नं. 1191/737, 1193/738, 764 एवं 765 पाठे जाम गौरवनपुरा
का सीमादान दि 21/04/2025 को पटवारी हल्ल मल्लाना द्वारा खातेपर की
नोंपुवजी में किया जा चुका है।

3. भीमानजी आय नं. 1191/737, 1193/738, 764 एवं 765 पाठे जाम गौरवनपुरा
वर्तमान में नोंपेपर खाते हैं।

4. भीमानजी आय नं. 1191/737, 1193/738, 764 एवं 765 पर हात खाता
नं. 68, 69 एवं 73 में दर्ज खातेदारान्त (पूर्व सह खातेदारान्त) में
कसजा सम्बन्धी विवाद हैं।

द्वारा-128 को रिपोर्ट भीमानजी की सेवा में पेश है।

पटवारी
पटवारी
पं. म. मल्लाना
09/08/25